



2026:AHC:22701

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1466, वर्ष 2026

ब्रह्मा नंद शुक्ला

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : ओंकार नाथ

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओंकार नाथ और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति 29.09.1995 को डार्क रूम सहायक के पद पर हुई थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह एक्स-रे तकनीशियन का कार्य कर रहा है और एक शासनादेश दिनांक 24.01.1997 विद्यमान है जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक्स-रे तकनीशियनों के 25% पदों को डार्क रूम सहायकों द्वारा भरा जा सकता है, बशर्ते उन्होंने एक्स-रे तकनीशियन का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का न्यायनिर्णयन प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 4/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा किया जाना आवश्यक है।
5. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। उक्त प्रतिवादी, प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेंगे।

3 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एन.एस. राठौर

बुधवार)

(न्यायमूर्ति विकास

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"